रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1978/आश्विन 8, 1900
No. 289] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1978/ASVINA 8, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनायें

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1978

सा०का०नि० 482(अ).—सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने डाकघर बचत बैंक, नियम 1965 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों को डाकघर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1978 कहा जायेगा।

2. ये नियम, अन्यथा विनिर्दिष्ट स्थिति को छोड़कर पहली अक्तूबर, 1978 से लागू होंगे।

3 डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 में—(1) नियम 3 के नीचे सारणी में "लोक लेखा" के संबंध में मद 3 के सामने उप प्रभाग (1) तथा स्तम्भ "अधिकतम शेष" (रुपये) के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां की जायेंगी :—

कौन खोल सकता है	अधिकतम शेष (रुपये)
"(1) एक स्थानीय प्राधिकरण अथवा विधिवत् निर्मित संगठन, संस्था अथवा अन्य निकाय मितव्ययिता के प्रोत्साहन अथवा अपने सदस्यों के पारस्परिक लाभ के लिए	
(क) जिसकी आय, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत मुक्त हो	(कोई सीमा नहीं)
(ख) अन्य सभी मामलों में	50,000 रुपये"

(2) नियम 9 के परन्तुक की मद (iii) (क) के बाद निम्न जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"(iii-ख) लोक लेखा के संबंध में नियम 3 के नीचे सारणी में जहां अधिकतम शेष 50,000 रुपये निर्धारित किया गया हो वहां 50,000 रुपये से ऊपर की किसी राशि पर पहली नवम्बर, 1978 को तथा इस तारीख से कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।"

[एफ० 3(30)-एन०एस०/77-i]

MINISTER OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th September, 1978

G.S.R. 482 (E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Banks Rules, 1964, namely:—

1. These rules may be called the Post Office Savings Banks (Amendment) Rules, 1978.

2. They shall come into force on the 1st day of October, 1978 except where otherwise specified.

3. In the Post Office Savings Banks Rules, 1965—

(i) in the Table below rule 3, against item 3 relating to 'Public Account', for sub-division (i) and entry in column "Maximum balance" (in rupees), the following shall be substituted, namely:—

Who may open	Maximum balance., (in rupees)
(ii) a local authority, are lawfully constitute association, institution or other body for the encouragement of thrift or for the mutual benefit of its members,—	
(a) whose income is exempt under the provisions of the Income-tax Act, 1961,	Without limit
(b) in all other cases	Rs. 50,000."

(ii) in rule 9, after item (iiiA) of the proviso, the following shall be inserted, namely:—

"(iiiB) where, in respect of a Public Account, a maximum balance of Rs. 50,000 has been prescribed in the Table below rule 3, no interest shall be allowed on any sum in excess of Rs. 50,000 on and from the Ist November 1978."

[F. 3(30)-NS/77-I]

सा०का०नि० 483(अ).—डाकघर बचत बैंक नियम 1965 के नियम 9 के अनुसरण में और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की 30 मार्च, 1974 को अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 157(ई) में अंशतः संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि पहली अक्तूबर 1978 से अगला आदेश जारी होने तक, डाकघर बचत बैंक के लोक लेखे (पब्लिक एकाउन्ट) में जमा शेष धन-राशि पर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर पर ब्याज दिया जायेगा :—

(1) नियम 3 के नीचे सारणी में जहां अधिकतम शेष राशि 50,000 रुपय निर्धारित किया गया हो वहां	(क)	50,000 रुपये तक की किसी भी शेष राशि पर 31 अक्तूबर 1978 तक 4½ प्रतिशत की वार्षिक दर और उससे अधिक शेष राशि पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर पर।
	(ख)	पहली नवम्बर 1978 से 50,000 रुपये तक की किसी भी शेष राशि पर 4½ प्रतिशत वार्षिक की दर पर, यदि इससे कोई अधिक राशि शेष हो तो उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
(2) नियम 3 के नीचे सारणी में जहां कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई हो वहां		4½ प्रतिशत वार्षिक की दर पर।

[एफ० 3(30)-एन०एस०/77(ii)]

रा०ना० मलहोत्रा, अपर सचिव

G.S.R. 483(E).—In pursuance of rule 9 of the Post Office Savings Banks Rules, 1965 and in partial modification of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. G.S.R. 157(E), dated the 30th March, 1974, the Central Government hereby notifies that, with effect from the Ist October, 1978 and until further orders, interest on the balance at credit of a Public Account in the Post Office Savings Bank shall be allowed at the rate specified below:

(i) Where a maximum balance of Rs. 50,000 has been prescribed in the Table below rule 3.	(a)	Upto 31st October 1978, 4½% per annum on any balance not exceeding Rs. 50,000 and 3 per cent per annum on the remainder of the balance.
	(b)	From Ist November 1978, 4½ per cent per annum on any balance not exceeding Rs. 50,000; no interest shall be payable on the remainder, if any, of the balance.
(ii) Where no maximum limit has been prescribed in the Table below rule 3.		4½ per cent per annum.

[F. 3(30)-NS/77-(II)]

R.N. MALHOTRA, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978